



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 877

23 Kartik, 1938 (S)

Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 2017

S.O. No. 131- Dated - 14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in column (2) of the Table shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	January, 2018	20 th February, 2018
2.	February, 2018	20 th March, 2018
3.	March, 2018	20 th April, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest,

penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall be deemed to be effective from 15th November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

एस. ओ. - 131- दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करता है कि सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	जनवरी, 2018	20 फरवरी, 2018
2.	फरवरी, 2018	20 मार्च, 2018
3.	मार्च, 2018	20 अप्रैल, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-38 के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए करों का संदाय : प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिसको उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात्, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित करके उन्मोचन करेगा ।

3. यह अधिसूचना 15/11/2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।